राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—4292/2022

सुनिता कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 06.12.2022

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अभिभाषक

समक्ष :— मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.01.2016 को ए.एन.एम. के पद पर सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, बांसवाड़ा में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर पी.एच.सी. जैजुसर, ब्लॉक नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र रामजी का गोल, जिला बाड़मेर में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के दूरस्थ रिक्त स्थान पर 600 कि.मी. दूर किया गया है, जो विधि—विरूद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई टी.ए.,डी.ए. नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में अध्यापक के पद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्री सरदारपुरा, ब्लॉक खेतड़ी जिला झुंझुनूं में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि अगर पति—पत्नी दोनों राज्य सेवा में है तो उन्हें एक साथ या आस—पास

लगाने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर पी.एच. सी. जैजुसर, ब्लॉक नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर पी.एच.सी. जैजुसर, ब्लॉक नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में दिनांक 10.02.2021 से कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र रामजी का गोल, जिला बाड़मेर में किया गया है, जो स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं मानी जा सकती। हम इस बात से सहमत हैं कि स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नि को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये, परन्तु इस तरह के प्रशासनिक दिशा–निर्देशों की पालना न होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस आशय की अवधारणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ इण्डिया बनाम जगजीत सिंह मेहता ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 519 एवं भारत संघ बनाम एस.एल.अब्बास ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2444 के निर्णयों में की है।

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is*

liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य